संख्या– /XVIII(II)/2020–03(07)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 28 सितम्बर, 2020

विषयः–विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नत्थनपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय के निर्माण हेतु जनपद देहरादून के पासपोर्ट कार्यालय के लिये पूर्व में आवंटित 0.2594 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1193/12ए–153 (2017–2020), दिनांक 15 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नत्थनपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम नत्थनपुर के खाता संख्या–4229 के खसरा नं0–309मि0/0.1044 है0 तथा 313कमि0/0.1550 है0, कुल रकबा 0.2594 है0 भूमि जो अभिलेखों में पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून के नाम अंकित है, को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नत्थनपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नलकूप एवं उर्ध्व जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम नत्थनपुर के खाता संख्या–4229 के खसरा नं0–309मि0/0.1044 है0 तथा 313कमि0/0.1550 है0, कुल रकबा 0.2594 है0 भूमि जो अभिलेखों में पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून के नाम अंकित है तथा जिसका प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य रू0 2,33,46,000 (रूपये दो करोड़ तैंतीस लाख छियालिस हजार मात्र) होता है, एकमुश्त जमा किये जाने पर शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496/XVII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

.....2

5– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)– रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

7– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/ जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

10– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तो की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–533/XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, बी0 ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।
5– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर, रिंग रोड़, जोगीवाला, देहरादून।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।